न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पदमपुर

पीठासीन अधिकारी–श्री सुभाष कुमार (आर.ए.एस)

मु0न0 – 302/2020

1. सरोज पत्नी जगदीशप्रसाद पुत्री राधेराम जाति जाट निवासी 81 एलएनपी तहसील पदमपुर

–वादीया–

बनाम

1. अभयसिंह पुत्र राधेराम जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी
2. रोहिताश पुत्र राधेराम जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी
3. उर्मिला पत्नी रोहिताश जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी
4. राजबाला पत्नी अभयसिंह जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी
5. पुष्पा पुत्री राधेराम जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी

–प्रतिवादीगण–

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–88–188 आरटीए

निर्णय

दिनांक :– 19/1/21

वाद पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि पदमपुर तहसील के चक 81 एलएनपी की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 10/10 के मु0न0 34 में 5.288 है0 नहरी भूमि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाम जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 1487/2644 व प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा 1157/2644 दर्ज है व तहसील टिब्बी के चक 8 एस.बी.एन. की जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 8/7 के मु0न0 27 में 0.253 है0 गैरमुंमकिन खाला व नहरी व इसी चक के खाता संख्या 133/115 के मु0न0 8 में 0.240 है0 अनकमाण्ड भूमि प्रतिवादी संख्या 2 रोहिताश के नाम व इसी चक के खाता संख्या 9/6 के मु0न0 8,27,28,31,29, 30 में कुल 9.614 है0 नहरी अनकमाण्ड मय गैरमुंमकिन खाला भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड है। उक्त वादाधीन भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की जदी जायदाद है जो कि परिवार के सदस्यों के नाम अलग–अलग दर्ज करवाई गई थी जो कि संयुक्त हिन्दु परिवार की जायदाद है जो सभी सदस्यों द्वारा मिलकर खरीद की गई है इसलिए उक्त वादाधीन भूमि में मुझ वादिया व वादिया के भाई बहिनों का हक व हिस्सा बनता है जिसे मैं प्राप्त करने की अधिकारी हूँ। आज से कुल माह पूर्व मुझ वादिया व प्रतिवादीगण के मध्य घरेलू बंटवारा

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज0)

हुआ था जिसके तहत मुझ वादिया को पदमपुर तहसील के चक 81 एलएनपी के खाता संख्या 10/10 के मु0न0 34 की 5.288 है0 नहरी भूमि जो प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाम है की समस्त भूमि मुझ वादिया को प्राप्त हुई थी और मैं वादिया घरेलू बंटवारानामा अनुसार उक्त भूमि की खातेदार मालिक घोषित होने की अधिकारी हूँ और इसकी घोषणा करवाना चाहती हूँ। इसलिए प्रथम दृष्टया वाद व सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में बनना पाया जाता है। चक 81 एलएनपी की भूमि जो मुझ वादिया को घरेलू बंटवारानामा में आई है उक्त भूमि खरीद की रोज से ही मुझ वादिया के कब्जाकाश्त में चली आ रही है तथा मुझ वादिया के पिता राधेराम द्वारा भी उक्त भूमि मुझ वादिया को दे दी थी और अब से कुछ माह पूर्व हुए घरेलू बंटवारा में उक्त भूमि मुझ वादिया के हिस्सा में आई है इसलिए मैं वादिया उक्त भूमि की रक्षा करने की हर प्रकार से अधिकारी हूँ तथा अपने नाम करवाने की अधिकारी हूँ। इसलिए अपूर्णीय क्षति मुझ वादिया के पक्ष में बननी पाई जाती है। आज से कुछ दिन पूर्व मुझ वादिया ने घरेलू बंटवारानामा अनुसार भूमि अपने नाम करवाने को कहा तो प्रतिवादी इंकार हो गए जो कि वादकारण है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे :-

(क) पदमपुर तहसील के चक 81 एलएनपी की जमाबन्दी सम्वत 2073-76 के खाता संख्या 10/10 के मु0न0 34 में 5.288 है0 नहरी भूमि जो प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाम है की समस्त भूमि का मुझ वादिया सरोज को घरेलू बंटवारानामा अनुसार खातेदार मालिक घोषित किया जावे व रकबा अलग से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादीया एवं प्रतिवादीगण की ओर से राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि चक 81 एलएनपी की जमाबन्दी सम्वत 2073-76 के खाता संख्या 10/10 के मु0न0 34 की कुल 5.288 है0 नहरी भूमि जो प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाम है, उसमें से प्रतिवादी संख्या 5 पुष्पा का हिस्सा 2.506 है0 व वादिया सरोज का 2.782 है0 नहरी हिस्सा बनता है, घरू बंटवारानामा अनुसार पुष्पा अपना हिस्सा सरोज वादिया को देना चाहती है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा 2.506 है0 सरोज के नाम कर दिया जावे तो हमें कोई एतराज नहीं है। इस प्रकार वाद पत्र अनुसार चक 81 एलएनपी के खाता संख्या 10/10 के मु0न0 34 की कुल 5.288 है0 नहरी भूमि का वादिया सरोज को खातेदार मालिक घोषित किया जावे। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किया जावे।

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज0)

वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण ने लोकअदालत की मूल भावना से पारिवारिक संपति के समझौता के आधार पर स्वीकार कर कोई एतराज पेश नहीं किया है। अधिवक्ता वादी ने बहस में अपने वाद के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपील न0 7764/2014 आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आर.आर.डी. 1998 पेज 646 का उल्लेख किया है जिसके अनुसार खातेदार आपसी सहमति/राजीनामा के आधार पर अपने हकों का हस्तान्तरण कर सकता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रकरण का निस्तारण वादी व प्रतिवादी के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद–पत्र राजीनामा अनुसार डिकी किया जाकर पदमपुर तहसील के चक 81 एलएनपी की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 10/10 के मु0न0 34 में 5.288 है0 नहरी भूमि का वादिया सरोज पत्नी जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी 81 एलएनपी तहसील पदमपुर को घरेलू बंटवारानामा अनुसार खातेदार मालिक घोषित किया जाता है।

उक्त भूमि रिकार्ड में बैंक में रहन दर्ज होने पर खातेदारान के संयुक्त खाते में अंकित हिस्से में बदलाव की स्थिति में बैंक से एनओसी जारी होने के बाद रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हो। इस विचारण न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फैंसलशुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/1/21......... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पदमपुर

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज०)

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D 1")

ब अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम : पदमपुर
ब इजलास श्री सुभाष कुमार (आर.ए.एस.)

सरोज बनाम अभयसिंह वगैरा

धारा 53–88–188 आरटीए

मुकदमा नं. 302 / 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री नरेश जाखड़ ब हाजरी मिनजानिब मुदई श्री सुशील कुमार सिंगल मुदायलहम पेश होकर हुक्म दिया गया हैं।

प्रकरण निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है :–

तहसील पदमपुर के चक 81 एलएनपी की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 10 / 10 के मु0न0 34 में 5.288 है0 नहरी भूमि का वादिया सरोज पत्नी जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी 81 एलएनपी तहसील पदमपुर को घरेलू बंटवारानामा अनुसार खातेदार मालिक घोषित किया जाता है।

उक्त भूमि रिकार्ड में बैंक में रहन दर्ज होने पर खातेदारान के संयुक्त खाते में अंकित हिस्से में बदलाव की स्थिति में बैंक से एनओसी जारी होने के बाद रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19 माह 01 सन 2021 को जारी की गई।

मुहर [Seal: सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर — सत्यमेव जयते]

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पदमपुर
(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज0)

मुदई	रू.	पैसा	मुदायंली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	0	स्टाम्प वकालतनामा	1	0
स्टाम्प वकालतनामा	1	0	स्टाम्प अरजी	0	0
स्टाम्प डयूटी	200	0	मेहनताना वकील पर	0	0
मीजान	203	0	मीजान	1	0

मुहर [Seal: सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर — सत्यमेव जयते]

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पदमपुर
(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज0)